



न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. /2018 पुनरीक्षण

(नगरानी) - 3437/2018/सागर/भू.र

कांती कुमार पुत्र केशव प्रसाद बिलगैया
निवासी ग्राम शास्त्री वार्ड बीना तहसील बीना
जिला सागर (म.प्र.)

..... आवेदक

विरुद्ध

अभिषेक पुत्र महेन्द्र कुमार बिलगैया
निवासी शास्त्री वार्ड बीना तह. बीना
जिला सागर (म.प्र.)

..... अनावेदक

श्री मुकेश सागर
द्वारा धारण दि. 4-6-18
प्रस्तुत। प्रारम्भिक तर्क हेतु
दिनांक 21-6-18 नियत।

फ्री
सदर ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर
4-6-18

W3
मुकेश सागर
4-6-18 (अवेक्रेट)
ग्वालियर

न्यायालय तहसीलदार बीना जिला सागर द्वारा प्र.कं. 01
अ-12/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 23.04.2018 के
विरुद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत
पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि -

संक्षिप्त तथ्य

- 1- यह कि, अनावेदक अभिषेक ने ग्राम कोरजा तहसील बीना जिला सागर में स्थित आराजी ख.नं. 485, 491, 496, 503 रकवा क्रमशः 1.94, 1.98, 0.50, 0.25 किता 4 कुल रकवा 4.17 है. भूमि के सीमांकन कराने बावत राजस्व निरीक्षक बीना के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था जिस पर से प्र.कं.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3437/2018/सागर/भू.रा.

कांतीकुमार विरूद्ध अभिषेक

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-01-2019	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत ।2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार बीना के प्रकरण क्रमांक 01/अ-12/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 23-04-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी ।4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।	<p>(आर.के. जैन) 21.01.19 सदस्य</p>